

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बुदनी जिला सीहोर (म0प्र0)

COLLEGE CODE- 2906 E mail :- hegcbudseh@mp.gov.in Mo.No- 9425693960,9992087003

क्रमांक- 534/शामहाविबु/2022

बुदनी, दिनांक- 21/09/2022

निविदा आमंत्रण

विषय:- निःशुल्क स्टेशनरी कय हेतु निविदा विज्ञप्ति 2022-23

महाविद्यालय में सत्र-2022-23 हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनांतर्गत 500 रु0/- प्रति छात्र हेतु स्टेशनरी सेट कय किया जाना प्रस्तावित हैं। भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होने चाहिए। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा तथा तुलनात्मक पत्रक में भी शामिल नहीं किया जावेगा। भाव पत्र सील बंद लिफाफे में निम्न विवरण के साथ विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर स्वयं/ स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में जमा करे। निर्धारित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाव पत्र नीचे दिए प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करे।

सं0कं	उपकरण का नाम	दर प्रति नग	सेट में संख्या	रिमार्क
1	लांग पेज रजिस्टर 232			
2	लांग पेज रजिस्टर 176			
3	Pen cello fine greep			
4	स्टेपलर एवं पिन नटराज			
5	स्केल स्टील 12 इंच			
6	फोल्डर फाईल 6.12 एवं 18 फोल्डर			

भाव पत्र की शर्तें-

1. प्रदायकर्ता निविदा बेवसाइट पर प्रकाशित दिनांक से 15 दिवस में डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में जमा करे।
2. भाव पत्र में वाणिज्यिक कर विभाग का प्रचलित टिन नं. अंकित होना अनिवार्य हैं।
3. सामग्री गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा निर्धारित फार्मेट के अनुसार मान्य होगी।
4. निविदा के साथ यदि उपरोक्त सभी सामग्री का सैंपल सेट नहीं दिया जाता है तो निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. कय सामग्री का सेट प्रति छात्र सामग्री प्रदायकर्ता को देना होगा तथा एफओआर शासकीय महाविद्यालय बुदनी होगा।
6. आदेशित स्टेशनरी प्रदाय तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रदाय करनी होगी।
7. लिफाफे पर निःशुल्क स्टेशनरी कय निविदा 2022-23 अवश्य अंकित करें।
8. म0प्र0भंडार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की समस्त शर्तें लागू होगी जो कि फर्म को मान्य होगी।
9. समस्त सामग्री का मूल जी0एस0टी0 सहित सम्मिलित होना चाहिए।
10. प्रदायकर्ता फर्म का बैंक खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड अंकित होना अनिवार्य हैं।
11. कार्यालयीन सामग्री के कय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होंगे। विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. निविदा 30 जून 2023 तक ही वैध रहेगी।

टीप:- विभाग से निःशुल्क स्टेशनरी के भुगतान हेतु बजट/आवंटन प्राप्त होने पर ही संबंधित फर्म को भुगतान किया जावेगा।

पुस्तकालय प्रभारी

21/09/2022
प्र0प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बुदनी
जिला सीहोर (म0प्र0)
बुदनी, दिनांक- 21/09/2022

पृ.क्र/ 534/2022

- प्रतिलिपि :-
1. कम्प्यूटर सेल प्रभारी उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0शासन भोपाल की ओर बेवसाइट के पोर्टल पर प्रकाशित करने हेतु निवेदन।
 2. कार्यालयीन प्रति शासकीय महाविद्यालय बुदनी जिला-सीहोर(म0प्र0)

21/09/2022
प्र0प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बुदनी
जिला सीहोर (म0प्र0)